



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:40989

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - ए सं. - 6089 वर्ष 2026

पूजा कुमारी उर्फ पूजा चन्द्रा

.... याची (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,
लखनऊ एवं 3 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता	: विनोद कुमार मिश्रा, राकेश कुमार
प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता	: शा.अधि., ए.एस.जी.आई., राज कुमार
	उपाध्याय (आर.के. उपाध्याय)

न्यायालय सं. - 3**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

याची के विद्वान् अधिवक्ता, प्रत्युत्तरदाता सं. 1 के विद्वान् स्थायी अधिवक्ता, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 और 3 के विद्वान् अधिवक्ता श्री रवि शंकर तिवारी और प्रत्युत्तरदाता सं. 4 के विद्वान् अधिवक्ता श्री वरुण पांडे को सुना।

इस याचिका द्वारा, याची ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना की है:

"(i) विरोधी पक्षकारों, विशेषकर विरोधी पक्षकार सं. 2 एवं 3 को, सहायक अभियोजन

अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2025 से संबंधित नोटिस/विज्ञापन दिनांक 07.05.2026 के

अनुसरण में याची द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति और संलग्न दस्तावेजों को

स्वीकार करने का, आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति की कोई रिट, आदेश या निदेश

जारी किया जाए;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) विरोधी पक्षकारों को, याची को **28.06.2026** को होने वाली सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2025 में सम्मिलित होने की अनुमति देने और विधि के अनुसार उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति की कोई रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।"

याची के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने अधिसूचना दिनांक **07.05.2026** (संलग्नक सं. 4) के खंड 3 के अनुपालन में अपेक्षित दस्तावेजों की मुद्रित प्रति **25.05.2026** को भेज दी थी। उनका तर्क है कि जब निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दस्तावेज भेज दिए गए थे, तो यदि वे **29.05.2026** को या उससे पूर्व आयोग तक नहीं पहुंचे थे, तो इसके लिए याची को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अग्रेतर निवेदित किया गया है कि यह एक वैध अपेक्षा थी कि रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए दस्तावेज सामान्य तौर पर दो दिन के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे।

इसके विपरीत, प्रत्युत्तरदाता सं 2 एवं 3 की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची सहित सभी उम्मीदवारों को अधिसूचना दिनांक **07.05.2026** के माध्यम से सम्यक् रूप से सूचित किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र और आवश्यक संलग्नक आयोग में या तो रजिस्ट्रीकृत-डाक से या व्यक्तिगत रूप से **29.05.2026** को या उससे पहले प्रस्तुत करने होंगे। अग्रेतर निवेदित किया गया है कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप से अनुबंधित था कि आवेदन पत्र और समर्थक प्रमाण-पत्रों की भौतिक प्रतियां आयोग को **29.05.2026** को शाम **5:00** बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। क्योंकि याची के दस्तावेज

विहित अंतिम दिनांक और समय के भीतर आयोग को प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए उन पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विचार नहीं किया जा सका था। अपने निवेदनों के समर्थन में, विद्वान् अधिवक्ता ने, **राजेंद्र पटेल बनाम उ. प्र. राज्य, ए आई आर 2015 इला 161** में इस न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है।

अभिलेख का परिशीलन किया गया।

यह विवादित नहीं है कि अधिसूचना दिनांक **07.05.2026** के अधीन, उम्मीदवारों को सूचित किया गया था कि अपेक्षित दस्तावेज आयोग को या तो रजिस्ट्रीकृत-डाक से या व्यक्तिगत रूप से जमा करने होंगे जिससे वे **29.05.2026** को शाम **5:00** बजे तक या उससे पहले आयोग तक पहुंच जाएं। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि याची के दस्तावेज निर्धारित अंतिम दिनांक और समय के भीतर आयोग को प्राप्त नहीं हुए थे।

इस न्यायालय की पूर्णपीठ ने **राजेंद्र पटेल (उपर्युक्त)** में, निर्देश का उत्तर देते हुए, स्पष्ट रूप से निर्णीत किया है कि जहां किसी विज्ञापन या अधिसूचना के निबंधनों में आवेदन एक विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना अपेक्षित है, वहां न्यायालय के लिए ऐसे आवेदन पर विचार करने का निदेश देना संभव नहीं होगा जो विहित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है, भले ही आवेदक ने भेजने का कोई भी माध्यम अपनाया हो। निर्णय का पैरा

22, सुसंगत होने के कारण, नीचे उद्धृत किया गया है:

"22. इन कारणों से, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि जहां आयोग विहित अंतिम दिनांक तक ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति और उसके साथ सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, और उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से इस तथ्य की सूचना देता है कि कोई

आवेदन, जो अंतिम दिनांक के बाद विहित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाता है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उम्मीदवारी को अवैध कर देगा, तो आयोग द्वारा अधिरोपित शर्त का सावधानी से पालन करना होगा। न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि ऐसी स्पष्ट शर्त होने के बाद भी, अंतिम दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए आवेदन पर भी विचार किया जाए। आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन की मुद्रित प्रति जमा करने के लिए दो पद्धतियों, अर्थात्, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या स्वयं जाकर जमा करने का विकल्प दिया है। जो उम्मीदवार इन दो पद्धतियों में से कोई एक चुनता है, उससे इस शर्त का पालन करना अपेक्षित कि सभी अपेक्षित चार चरण निर्धारित समय के भीतर पूरे हों।"

राजेंद्र पटेल (उपर्युक्त) में पूर्ण पीठ द्वारा प्रतिपादित विधि की दृष्टि से, यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता है। रिट याचिका सारहीन है, और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

जून 12, 2026
आर.सी.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।